2025/344

# न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

11 / 2025 तारीखरजू:– 20.08.2025

उनवान:– मगना देवी बनाम तहसीलदार बगै0

मण्डेरू

इजराय डिकी पालना

| | फर्द अहकाम | |
|---|---|---|
| 5 | डिकीदार की और से श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट ने मु0न0 75 / 2023 मे पारित निर्णय दिनांक 23.06.2025 की पालना मे इजराय पेश की। अवलोकन किया गया। दर्ज रजिस्टर होकर निर्णय की प्रति तहरीर के साथ तहसीलदार को भिजवाई जावे। पत्रावली दिनांक:– 26.09.2025 से पूर्व पेश हो।<br>(पूजा मीना)<br>उप जिला कलक्टर<br>टोडाभीम जिला करौली | |
| 9/25 | पत्रावली पेश हुई डिक्रीदार वकील उप0 तहसीलदार टोडाभीम से पालना रिपोर्ट अप्राप्त वास्ते इंतजार पालना रिपोर्ट दिनांक 27.10.25 को पेश हो। | |
| 27/10/25 | वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित<br>पीठासीन अधिकारी ....स्थानान्तरण हो गये<br>पत्रावली मतानुसार दिनांक....25.11.25<br>को पेश हो। | |
| 25.11.25 | वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित<br>पीठासीन अधिकारी........अवकाश पर है।<br>पत्रावली मतानुसार दिनांक....22.12.25<br>को पेश हो। | |
| 25 | पत्रावली पेश हुई। वकील डिक्रीदार उप0। तहसीलदार टोडाभीम से पालना रिपोर्ट अप्राप्त। वास्ते इंतजार पालना रिपोर्ट दिनांक 08.01.26 को पेश हो। | |
| 08.1.26 | वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित<br>पीठासीन अधिकारी ....21A कार्य में व्यस्त है<br>पत्रावली मतानुसार दिनांक....28.1.26<br>को पेश हो। | TDR |

2025/3414

# न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0 न0:— 11/2025 तारीखरजू:— 20.08.2025

उनवान:— मगना देवी बनाम तहसीलदार बगै0

मण्डेरू

इजराय डिकी पालना

| दिनांक | फर्द अहकाम |
|---|---|
| 20.08.2025 | डिकीदार की और से श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट ने मु0न0 75/2023 मे पारित निर्णय दिनांक 23.06.2025 की पालना मे इजराय पेश की। अवलोकन किया गया। दर्ज रजिस्टर होकर निर्णय की प्रति तहरीर के साथ तहसीलदार को भिजवाई जावे। पत्रावली दिनांक:— 26.09.2025 से पूर्व पेश हो।<br><br>(पूजा मीना)<br>उप जिला कलक्टर<br>टोडाभीम जिला करौली |
| 26.9.25 | पत्रावली पेश हुई डिक्रीदार वकील उप० तहसीलदार टोडाभीम से पालना रिपोर्ट अप्राप्त वास्ते इंतजार पालना रिपोर्ट दिनांक 27.10.25 को पेश हो। |
| 27.10.25 | वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित<br>पीठासीन अधिकारी....[illegible] छीन है<br>पत्रावली गतानुसार दिनांक...25.11.25<br>को पेश हो |
| 25.11.25 | वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित<br>पीठासीन अधिकारी........अवकाश पर है।<br>पत्रावली गतानुसार दिनांक...22.12.25<br>को पेश हो। |
| 22.12.25 | पत्रावली पेश हुई। वकील डिक्रीदार उप०। तहसीलदार टोडाभीम से पालना रिपोर्ट अप्राप्त। वास्ते इंतजार पालना रिपोर्ट दिनांक 08.01.26 को पेश हो। |
| 08.1.26 | वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित<br>पीठासीन अधिकारी....214 कार्य में व्यस्त है<br>पत्रावली गतानुसार दिनांक...28.1.26<br>को पेश हो। |

TDR

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : 312402

# डिक्री के निष्पादन के लिये आवेदन-पत्र

(आदेश 21 का नियम 11)

उप जिला कलेक्टर स्थान टोडाभीम

पक्षीगण

डिक्रीदार इसके द्वारा नीचे दी गई डिक्री के निष्पादन के लिये आवेदन करता हूं :—

| क्रम | विवरण | प्रविष्टि |
|---|---|---|
| 1 | वाद का राज.. | 75/2023 |
| 2 | पक्षकारों के नाम | मगना देवी उर्फ मगनी देवी पत्नी परभाती जाति मीना निवासी सुजानपुरा तह० टोडाभीम जि० करौली डिक्रीदार बनाम |
| 3 | डिक्री की तारीख | 23-6-2025 |
| 4 | क्या डिक्री की कोई अपील की गई है | जी नही |
| 5 | यदि कोई संदाय या समायोजन किया गया है तो वह संदाय या समायोजन | जी नही |
| 6 | यदि पहले कोई आवेदन किया गया है तो उसकी तारीख और परिणाम | जी नही |
| 7 | डिक्री की रकम उस पर शोध्य ब्याज के सहित या एतदद्वारा अनुदत्त अन्य अनुतोष प्रति डिक्री की विशिष्टियों के सहित | जी नही |
| 8 | यदि खर्चों मद्धे कोई रकम अधिनिर्णीत की गई है तो वह रकम | नही |
| 9 | किसके विरुद्ध निष्पादन किया जाए | तहसीलदार टोडाभीम |
| 10 | वह ढंग जिससे न्यायालय की सहायता अपेक्षित है | [illegible] |

दिनांक ..................

हस्ताक्षर ..................

प्रमाणित छायाप्रति

# डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारीः– पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

मगना देवी उर्फ मगनी देवी पत्नि परभाती लाल जाति मीना निवासी सुजानपुरा तहसील टोडाभीम।

(वादीया)

बनाम

1. गुड्डी बाई पत्नि मुकेश पुत्र कल्याण सहाय मीना पुत्री प्रभू मीना निवासी खोहरा तहसील टोडाभीम हालवासी अकबरपुर (सारापाडा) तहसील महवा जिला दौसा।
2. सुरेश बाई पत्नि सुरेश पुत्र कल्याण सहाय मीना पुत्री प्रभू मीना निवासी खोहरा तहसील टोडाभीम हालवासी अकबरपुर (सारापाडा) तहसील महवा जिला दौसा।
3. टण्डी पुत्र अर्जुन मीना निवासी खोहरा तहसील टोडाभीम।
4. फतेह सिंह उर्फ फत्या पुत्र टण्डी जाति मीना निवासी खोहरा तहसील टोडाभीम।
5. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत नाम दुरूस्ती, तकासमा, स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0ः– 75/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट हमारे मिनजानिब मुदायलह .................................. पेश होकर हुक्म दिया जाता है, व ग्राम खोहरा की आराजीयात मे निम्नानुसार डिक्री दी जाती है कि :–

| क्र0स0 | नाम खातेदार काश्तकार | ख0न0 | रकवा |
|---|---|---|---|
| 1 | मगना देवी पत्नि परभाती लाल मीना निवासी सुजानपुरा | 1957<br>1958 | 0.1504 है0<br>0.3464 है0 |
| | | कुल किता 2 | कुल रकवा 0.4968 है0 |
| 2 | गुड्डी बाई, सुरेश बाई पुत्रिया प्रभू मीना सा.देह | 1957/1<br>1958/1 | 0.0296<br>0.0136 |
| | | कुल किता 2 | कुल रकवा 0.0432 है0 |

उक्त सूची अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। उभयपक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

निज....................मुबलिंग..........................बाबत........................खर्चा इस मुकदमे के मय शुद वशरह..................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक............ अदा करे।

बसब्दं मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 23.06.2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी
कार्या. उप जिला कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

प्रमाणित छायाप्रति



उनवान:– मगना देवी बनाम गुड्डी देवी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

प्र०न० 75/2023

दिनांक:– 20.06.2023

पीठासीन अधिकारी:– पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

मगना देवी उर्फ मगनी देवी पत्नि परभाती लाल जाति मीना निवासी सुजानपुरा तहसील टोडाभीम।
(वादीया)

बनाम

1. गुड्डी बाई पत्नि मुकेश पुत्र कल्याण सहाय मीना पुत्री प्रभू मीना निवासी खोहरा तहसील टोडाभीम हालवासी अकबरपुर (सारापाडा) तहसील महवा जिला दौसा।
2. सुरेश बाई पत्नि सुरेश पुत्र कल्याण सहाय मीना पुत्री प्रभू मीना निवासी खोहरा तहसील टोडाभीम हालवासी अकबरपुर (सारापाडा) तहसील महवा जिला दौसा।
3. ठण्डी पुत्र अर्जुन मीना निवासी खोहरा तहसील टोडाभीम।
4. फतेह सिंह उर्फ फत्या पुत्र ठण्डी जाति मीना निवासी खोहरा तहसील टोडाभीम।
5. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत नाम दुरूस्ती, तकास्मा, स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति:– श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट एडवोकेट (वादीया)

निर्णय

दिनांक 23.06.2025

वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि आराजी ख0न0 1957/0.18, 1958/0.36 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.54 है0 मे वादीया 23/25 हिस्से की, प्रतिवादीया न0 1, 1/25 हिस्से की, तथा प्रतिवादीया न0 2, 1/25 हिस्से की खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजीयात का वादीया व प्रतिवादी न0 1 व 2 ने मौके पर बहामी बटवारा कर रखा है वादीया का उक्त आराजीयात के अपने हिस्से मे आई भूमि से प्रतिवादीगण का कोई संबध किसी प्रकार का नही है लेकिन उक्त भूमि का रिकार्डेड बटवारा नही होने से वादीया एवं प्रतिवादी न0 1 व 2 के मध्य डोल मेड के संबध मे आये दिन विवाद बना रहता है, प्रतिवादी न0 1 व 2 का सहयोग प्रतिवादी न0 3, 4 करते है जिसका प्रतिवादीगणो का कोई अधिकार नही है।

वादीया द्वारा वादपत्र मे अपना हिस्सा 23/25 हिस्से को ज़रिये रजिस्टर्ड विकय पत्र प्रतिवादीया न0 1 व 2 के भाई व मॉ से तथा प्रतिवादी न0 3 व उसके भाईयो से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है लेकिन प्रतिवादी न0 3 व 4 झगडालू किस्म के व्यक्ति है जो वादीया के अकेले होने का फायदा उठाकर वादीया के हिस्से व कब्जे की आराजी को जोतने बोने मे प्रतिवादीया न0 1 व 2 से मिलकर आये दिन विवाद करते रहते है और झगडा फसाद करते रहते है।

वादीया का नाम मुताबिक रजिस्टर्ड विकय पत्र मे वादीया का नाम श्रीमति मगना देवी पत्नि परभाती लाल दर्ज है जबकि हाल जमाबन्दी मे राजस्व कर्मचारियो ने वादीया का नाम मगना देवी के स्थान पर मगनी देवी दर्ज कर दिया जिसे दुरूस्त करवाने के लिये वादीया ने तहसीलदार टोडाभीम से निवेदन किया। परन्तु तहसीलदार टोडाभीम ने मना कर दिया इसलिये यह दावा बावत नाम दुरूस्ती भी पेश करना आवश्यक हुआ है।

बॉका दिनांक 10.04.2023 को तहसीलदार टोडाभीम के समक्ष नाम दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश करने के बावजूद भी नाम दुरूस्त नही किया तथा दिनांक 12.06.2023 को प्रतिवादीया न0 1 व 2 द्वारा विधिवत बटवारा कराने से इन्कार करने व वादीया को अपने हिस्से की भूमि को

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी
कार्या. उप जिला कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

प्रतिवादीया न0 3 व 4 के सहयोग से शांतिपूर्वक काश्त नही करने देने व वादीया को वेदखल करने की धमकी देने से वमुकाम दावा अन्दर हाजा म्याद पेश है।

अत: दावा वादीया वखिलाफ प्रतिवादीगण बावत नाम दुरूस्ती इस आशय से डिकी किया जावे कि वादीया का नाम हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे मगनी देवी पत्नि परभाती लाल के स्थान पर मगना देवी पत्नि परभाती लाल दर्ज किया जावे और इसी प्रकार समस्त राजस्व रिकार्ड मे किया जावे।

दावा वादीया बखिलाफ प्रतिवादी न0 1 व 2 बावत तकास्मा आराजीयात डिकी किया जाकर इस आशय की प्राथमिक डिकी किया जावे कि ग्राम खोहरा की आराजी ख0न0 1957/0.18, 1958/0.36 कुल कितात 2 कुल रकवा 0.54 है0 मे वादीया के 23/25 हिस्से का, तथा प्रतिवादीया न0 1 के 1/25 हिस्सा तथा प्रतिवादीया न0 2 के 1/25 हिस्से का मीट्स एण्ड बाउन्डस के आधार पर मुताबिक हिस्सा तकास्मा कराये जाने बावत तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर मुताबिक हिस्सा वादीया बटवारा स्कीम तलब किया जाकर बाद जॉच रिपोर्ट वादीया का दावा फाईनल डिकी किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दावा बाद बहस व सुनवाई दिनांक 22.02.2024 को प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार टोडाभीम से बटवारा स्कीम तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त बटवारा स्कीम का वादी वकील ने अवलोकन कर अपनी बहस मे कथन किया कि तहसीलदार टोडाभीम द्वारा मुताबिक रिकार्ड व कब्जेकाश्त अनुसार बटवारा स्कीम पेश की है अत: मुताबिक बटवारा स्कीम अनुसार दावा फाईनल डिकी कर दिया जावे।

वादी वकील की वहस पर मनन करते हुये पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो, व बटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत बटवारा स्कीम के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन स्कीम रिकार्ड मे दर्ज हिस्सानुसार तैयार की गई है। तथा वादी वकील ने भी अपनी बहस मे भी कथन किया है कि तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्कीम अनुसार दावा फाईनल डिकी कर दिया जावे। अत: वादपत्र मे वर्णित आराजीयात ग्राम खोहरा मे बटवारा स्कीम के अनुसार दावा निम्नानुसार फाईनल डिकी किया जाता है।

| क्र0स0 | नाम खातेदार काश्तकार | ख0न0 | रकवा |
|---|---|---|---|
| 1 | मगना देवी पत्नि परभाती लाल मीना निवासी सुजानपुरा | 1957<br>1958 | 0.1504 है0<br>0.3464 है0 |
| | | कुल किता 2 | कुल रकवा 0.4968 है0 |
| 2 | गुड्डी बाई, सुरेश बाई पुत्रिया प्रभू मीना सा.देह | 1957/1<br>1958/1 | 0.0296<br>0.0136 |
| | " | कुल किता 2 | कुल रकवा 0.0432 है0 |

उक्त सूची अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। उभयपक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। पर्चा डिकी जारी हो

निर्णय आज दिनांक 23.06.2025 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी
कार्या. उपजिला कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली